Regd. & Admn. Office :
2-D/1, VAKIL ROAD,
NEW MANDI,
MUZAFFARNAGAR.
Pin-251 001 (U.P.)
Tel. : 0131-2608232, 2608281
Fax : 0131-2609148
e-mail : tikaula@rediffmail.com

Delhi Office :
37, GYAN KUNJ,
LUXMI NAGAR,
DELHI - 110 092
Tel. : 011- 22041582

Factory :
VILLAGE - TIKAULA,
P. O. - RAMRAJ - 251 320
TEHSIL - JANSATH,
DISTT. - MUZAFFARNAGAR.
Tel. : 01396 - 246508
- 246528
Fax : 01396 - 246448

TIKAULA SUGAR MILLS LIMITED

Ref. No. TSML /F-623/ **Date: 3rd October 2017**

Member Secretary, SEIAA
12 B Vibuti Khand, Gomti nagar
Lucknow- 226010

Subject: Regarding the non-availability of previous Environmental Clearance letter of Proposed Expansion of Tikaula Sugar Mill, From 5000 TCD to 12000 TCD and Co-gen. Power Plant of 10 MW At Village -Tikaula, P/O-Ramraj, District -Muzaffarnagar, U.P. By M/s Tikaula Sugar Mills. Ltd.

Dear Sir,

This is to inform you that Tikaula Sugar Mill Project located at Plot No. 404, 580, 581, 582, 583, 584, 585/1, 585/2, 586, 593, 594, 595, 596, 597, 631M, 632, Tikaula village, Tehsil – Jansath, P.O. Ramraj, Distt. Muzaffarnagar, Uttar Pradesh was established in the year 1995 and started operating in year 1999. At the said time EC was not mandatory from MOEF&CC. We started operating With Consent to Establish & Consent to Operate from UP State Pollution Control Board which is attached as Annexure.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Tikaula Sugar Mills Ltd.

Director

दूरभाष : ३९२६४६, ३९३०४६

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"पिकप भवन" तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड

गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ स० G09503 NOC/IAVI/3/98 दिनांक 24/12/98

सेवा में,

मे०

टिकौला शुगर मिल्स लि०

टिकौला मुजफ्फरनगर

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाक............................का संदर्भ ल आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1—अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल : पुटठी इब्राहीमपुर में प्लाट सं० ४९४, ५८४, ५८५/१, ५८५/२, ५८६, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ६३१-एम, ६३२,
व ग्राम टिकौला में प्लाट सं० ६४१, (कुल भूमि ३८.८८१ हेक्टअर)

(ख) उत्पादन : चीनी

(ग) मुख्य कच्चा माल : गन्ना पेराई २५०० टन प्रतिदिन

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : १२०० किलोलीटर प्रतिदिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन : बेगास ५०० टन प्रतिदिन

उपयुक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

2–उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें ।

3–उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं कर जब तक कि वह बोड से चल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें । जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहल निर्धारित सहमतिआवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए । यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाहीकीजासकती है ।

4–उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाय ।

5–घरेलू उत्प्रवाह जिसकी मात्रा ……… १.० किलोलीटर ………से अधिक नहीं होगी।

सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6–प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक……16-1-99………तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

7– ७– उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के अंतर्गत प्रस्तावित आयल ग्रीज ट्रैप इक्वलाईजेशन टैंक प्राइमरी क्लेरीफायर, एइरेशन टैंक ४×१२ एच०पी० के एइरेटर सहित, सेकेन्डरी क्लेरीफायर व स्लज ड्राइंग बेड का निर्माण पूर्ण कर ही परीक्षण उत्पादन किया जाएगा

८– वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टीसाईकलोन के साथ वेट स्क्रबर अवश्य स्थापित किया जाए तथा १००० केवीए के डी०जी० सेट का इक्जास्ट भवन की छत के ऊपर ६.७मीटर तथा ब्वायलर की चिमनी ३० मी० ऊँची रखी जाए।

8– ९– उद्योग के निदेशक सुधीर प्रकाश के शपथ पत्र दिनांक २७.१०.९८ व श्री सतीश चन्द्र गोयल महा प्रबंधक के शपथ पत्र दिनांक १.१२.९८ का पूर्णतया पालन किया जाएगा।

१०– परिसंकटमय रसायनों व अपशिष्ट का हथालन व भंडारण इस प्रकार किया जाए कि पर्यावरण को कोई क्षति न पहुँचे।

9– ११– उद्योग के निदेशकों की सह इकाई मै० बाबरी फाइबर्स लि० व मे० जगदम्बा इस्टेट प्रा०लि० बाबरी मुजफफरनगर के उत्प्रवाह शुद्धीकरण को मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह शुद्ध करने की रिपोर्ट इस अनापत्ति निर्गमन के एक माह में जमा की जाएगी। अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

१२– शुद्धीकृत उत्प्रवाह का निस्तारण हेतु बंद पाईप/नाली द्वारा बुढिया झील में किया जाना प्रस्तावित है। इस निस्तारण से झील की गुणवत्ता दुष्प्रभावित न हों।

10– १३– परिसर के चारों ओर ३० मी० चौड़ी हरित पटिटका स्थापित की जाए तथा रिक्त स्थानों पर अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए।

१४– प्रेस मड व ब्वायलर ऐश का निस्तारण उद्योग की अपनी भूमि पर ही किया जाए

11–

12–

कृपया ध्यान दें कि उपयुक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक......16-7-96......तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदाय

(डा० सी०एस०भटट)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं० /एन०ओ०सी० तद दिनांक

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य पर्यावरण अधिकारी/पर्यावरण अभियन्ता/उपकर अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

2– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र..

3– क्षेत्रीय अधिकारी, उ प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड...मेरठ..............

4– नोडल अधिकारी (संगठन)- उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ..........................

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल— तीन)